

कार्यालय, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा के निम्नांकित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) हिन्दी जो कि निलंबन उपरान्त निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान-बीकानेर में उपस्थिति दे रहे हैं, का कॉलम संख्या-3 में अंकित अवधि का निर्वाह भत्ता निर्देशानुसार कॉलम संख्या-4 में अंकित विद्यालय से आहरित किये जाने की स्वीकृति नियमानुसार एतद्वारा प्रदान की जाती है। संबंधित प्राध्यापक (स्कूल शिक्षा) के कॉलम संख्या-3 में वर्णित अवधि में अनियोजित रहने संबंधित पूर्ण जांच किये बिना, कार्मिक का निर्वाह भत्ता आहरित नहीं किया जावे।

क्र. सं.	प्राध्यापक नाम मय विषय	अवधि	स्थान/विद्यालय का नाम जहां से निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है।	पद जिससे निर्वाह भत्ता आहरित किया जाना है।
I	II	III	IV	V
1	श्रीमती उर्मिला कुमारी RJL202121005650 व्या. हिन्दी (निलम्बित)	11.07.2025 से आगामी आदेश तक	Govt. senior secondary school kodka raniwara jalor (213720)	प्राध्यापक- समाजशास्त्र के रिक्त पद से
2	श्रीमती द्रोपदी बाई मीणा RJKA200626006019 उपप्रचार्य (निलम्बित)	19.07.2025 से आगामी आदेश तक	महात्मा गांधी राजकीय विद्य लय डाबरा (212668)	रिक्त पद व्याख्याता हिन्दी
3	श्री रमनदीप RJB1201809018318 व्या. हिन्दी (निलम्बित)	24.04.2026 से आगामी आदेश तक	राजकीय नूतन उ. मा. वि. बासवाडा (223870)	व्याख्याता रिक्त पद से

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/मा/संस्था/सी-7/हिन्दी/मकान किराया-निर्वा.भत्ता/2022-08978 दिनांक : यथा हस्ताक्षर
प्रतिलिपि : निम्न को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,।
2. संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक/मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी।
3. संबंधित संस्था प्रधान, राउमावि/(बालिका)।
4. अनुभाग अधिकारी, शाला दर्पण, कार्यालय हाजा को सूचनार्थ।
5. संबंधित कार्मिक.....।
6. रक्षित प्रतिलिपि।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर